राजस्व वाद संख्या 27 / 2025
GCMS NO. 2025 / 156
मो0 अली वगै0 बनाम आमीन वगै0
आदेश दिनांक 19.11.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 27 / 2025
GCMS NO. 2025 / 156

1. मोहम्मद अली पुत्र याकूब अली जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. मो. असगर सैयद पुत्र याकूब अली जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
3. युनस अली पुत्र याकूब अली जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
4. कुर्शिद अली पुत्र मो. लतीफ जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
5. खातून पत्नी मो. लतीफ जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
6. मजीद पुत्र मो. लतीफ जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. आमीन पुत्र वाजीद जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. फरियाद पुत्र वाजीद जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
3. लियाकत पुत्र वाजीद जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
4. भवंर अली पुत्र शेर मोहम्मद खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
5. इनायत खां पुत्र लादू खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
6. अब्दुल जब्बार खां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
7. दावदखां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
8. बाबू खां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
9. सुगनी पत्नी रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू (दौराने दावा मृतक)

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

10. सब्बीर खां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
11. सरवर खां पुत्र रूस्तम खां जाति कायमखानी निवासी बास हमीर खां तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
12. अब्दुल हमिद पुत्र अब्दुल अजीज जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
13. रशीद कुरैशी पुत्र मोहम्मद लतीफ जाति व्यापारी (कसाई) निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाबासर जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुझुनूं।

— अनावेदकगण

वकील आवेदक — रजिया बानो
वकील अनावेदकगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 19.11.2025

संक्षेप में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पीथूसर पटवार हल्का गोखरी तहसील मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 66 रकबा 3.64 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि आवेदकगण 1 लगायत 6 व अनावेदकगण 12, 13 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 12 व 13 क़ाबिज काश्त है तथा आवेदक की भूमि के सीमा के पास पड़ौस में अनावेदक संख्या 1 लगायत 11 की भूमि स्थित है आवेदक अपनी खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि में/पर आवारा पशुओं से फसल बचाने एवं अन्य भूमि सुधार कार्य करने हेतु तारबंदी करवाना चाहते है इसलिये आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 12 व 13 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 66 वाके ग्राम पीथूसर का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 14 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्व वाद संख्या 27 / 2025
GCMS NO. 2025 / 156
मो0 अली वगै0 बनाम आमीन वगै0
आदेश दिनांक 19.11.2025

भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदकगण के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 1 से 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीथूसर स्थित भूमि ख0न0 66 रकबा 3.64 है0 का खातेदारान के आवेदन पर सीमाज्ञान किया जाकर मौके पर विवाद नहीं होने की स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर